

&gt;

Title: .

**श्री जगदम्बिका पाल:** अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से एक ऑल इंडिया जुडीशियल सर्विसेज़ की मांग करता हूँ। जिस तरह से ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज़ है, पोस्टल सर्विसेज़ है, इंडियन रेलवे सर्विसेज़ है, वर्ष 1958 में लॉ कमीशन की 14वीं रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया। वर्ष 1976 में जो 42 वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अनुच्छेद 312 में जोड़ा गया। वर्ष 1986 में फिर लॉ कमीशन की जो 116वीं रिपोर्ट आई, उसमें भी यह है। वर्ष 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 165/1991 केस हुआ था, उस केस में भी ऑल इंडिया जुडीशियल सर्विसेज़ बनाने के लिए निर्देश जारी किया गया। नीति आयोग ने भी वर्ष 2018 में अपनी रिपोर्ट में ऑल इंडिया जुडीशियल सर्विसेज़ बनाने का सुझाव दिया। इसी सदन में वर्ष 2020 में माननीय रवि शंकर प्रसाद जी ने भी ऑल इंडिया जुडीशियल सर्विसेज़ के लिए विचार करने को कहा। देश में एक न्यायपालिका है, तो उसके लिए भी एक ऑर्गन इस तरह से ऑल इंडिया जुडीशियल सर्विसेज़ हो, जिससे कि और दूसरी सर्विसेज़ की तरह से, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नियुक्ति हो सके।